ादेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
10/09/2012	**सारण समाहरणालय, छपरा** **न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आंगनबाड़ी अपील सं0 20/2012** **शोभा कुमारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आंगनबाड़ी अपील सं0 21/2012** **सरिता देवी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आदेश** दोनों मामले राज्यस्तरीय जाँच दल के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर निर्गत एक ही आदेश से संबंधित होने के कारण एक साथ सुने गए। दोनों अपीलकर्त्ताओं तथा प्रतिवादी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सुना। अपीलकर्त्ताओं का पक्ष है कि राज्यस्तरीय जाँच दल, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना, द्वारा सारण जिला के मकेर परियोजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के क्रम में आंगनबाड़ी केन्द्र सं0 01/45 बंद पाये जाने के आरोप में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण, के ज्ञापांक 611/प्रो0 दिनांक 16/05/2012 द्वारा अवैधानिक तरीके से सेविका एवं सहायिका को चयन मुक्त कर दिया गया है। अपीलकर्त्ताओं का तर्क है कि राज्यस्तरीय जाँच दल का जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य साक्ष्य इन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके कारण वे समुचित जवाब नहीं दे सके। यह नैसर्गिक न्याय का हनन है। स्पष्टतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण, का आदेश वैधानिक दृष्टिकोण से मान्य नहीं है। इसलिए दोनों आदेशों को set aside करते हुए अभिलेख जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष रिमिट किया जाता है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण, को आदेश दिया जाता है कि वे सभी साक्ष्य अपीलकर्त्ता को उपलब्ध कराएँ तथा मामले का निष्पादन दो माह के अंदर करना सुनिश्चित करें। वाद निष्पादित। लेखापित एव संशोधित जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।	